



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122020-223926
CG-DL-E-24122020-223926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4125]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2020/पौष 3, 1942

No. 4125]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

सं. 68/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 4688(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152अनुच्छेद के (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसी के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारी को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र.सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै. लीवपीयूर प्राइवेट लि., प्लॉट सं. 221, उद्योग विहार, फ़ेस-I, गुडगाँव, हरियाणा-122016 और 2 अन्य.	फ़ा. सं. DRI/MZU/F/Int- 27/Livpure/2019 दिनांक 05.06.2020.	आयुक्त सीमा शुल्क, आईसीडी-पटपरगंज एवं अन्य आईसीडीस, नई दिल्ली के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क. आयुक्त सीमा शुल्क, आईसीडी-पटपरगंज एवं अन्य आईसीडीस, नई दिल्ली के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), आईसीडी-गढ़ी प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), आईसीडी-तुगलकाबाद, दिल्ली के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात). संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा-V, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, आईसीडी- पटपरगंज एवं अन्य आईसीडीस, नई दिल्ली के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क.

[फ़ा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-50/2020]

दीपक कुमार, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2020

No. 68/2020-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 4688(E).—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Principal Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints officer mentioned in column (5) of the Table below to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed

on officers mentioned in column (4) of the said Table in respect of noticee mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of show cause notice mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

Table

S. No.	Name of Noticee(s) and Address	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s. Livpure Private Ltd., Plot No. 221, Udyog Vihar, Phase-I, Gurgaon, Haryana-122016 and 2 others.	F. No. DRI/MZU/F/Int-27/Livpure/2019 dated 05.06.2020.	Joint/Additional Commissioner of Customs, O/o Commissioner of Customs, ICD-Patparganj & Other ICDs, New Delhi. Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), ICD-Garhi, O/o Commissioner of Customs, ICD-Patparganj & Other ICDs, New Delhi Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), O/o Principal Commissioner of Customs (Import), ICD-Tughlakabad, Delhi. Joint/Additional Commissioner of Customs (Import), Nhava Sheva-V, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.	Joint/Additional Commissioner of Customs, O/o Principal Commissioner of Customs, ICD-Patparganj & Other ICDs, New Delhi.

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-50/2020]

DEEPAK KUMAR, Jt. Director